



प्रेस नोट - दिनांक 30.06.2025
थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव

ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से फ्रॉड कर निकाली गई संपूर्ण धनराशि पीड़ित के खाते में कराई गई रिफण्ड

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से फ्रॉड कर निकाली गई 10500/- ₹0 की संपूर्ण धनराशि थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा पीड़ित के खाते में रिफण्ड कराई गई।

संक्षिप्त विवरण- आवेदक आशीष कुमार पुत्र राजकुमार वर्मा निवासी इन्द्रानगर थाना कोतवाली सदर उन्नाव द्वारा साइबर पोर्टल पर आनलाइन प्रार्थना पत्र बावत दिनांक 18.04.2025 को ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से 10500 /- ₹0 का गलत ट्रांजेक्शन होने विषयक दिया गया था। जिस पर थाना कोतवाली उन्नाव की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए फ्राड की गयी 10500 /- ₹0 की संपूर्ण धनराशि आवेदक के खाते में रिफण्ड करायी गई।

कार्यवाही करने वाली टीम:-

- 1.अपराध निरीक्षक राजेश यादव
- 2.व0उ0नि0 बृजेश कुमार यादव
- 3.महिला आरक्षी सोनिया शर्मा





प्रेस नोट - दिनांक 30.06.2025

थाना सफीपुर, जनपद उन्नाव

हत्या के प्रयास के 04 वांछित अभियुक्त गरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सफीपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के 04 वांछित अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 27.06.2025 को वादी की तहरीर सूचना पर थाना सफीपुर पर मु0अ0सं0 272/25 धारा 190/191(2)/191(3)/131/115(2)/109/352/351(3) BNS व 3(2)V SC ST ACT पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में आज दिनांक 30.06.2025 को उ0नि0 अरविन्द सिंह रघुवंशी मय हमराह पुलिस फोर्स द्वारा वांछित अभियुक्तगण 01.दिलशाद उम्र 31 वर्ष 02.शानू उर्फ रिहान अली उम्र 33 वर्ष पुत्रगण स्व0 मासूक अली 03.तौसीब उर्फ तौहीद खान पुत्र इरफान खान उम्र 19 वर्ष निवासीगण ग्राम शेरपुर खुर्द थाना सफीपुर जनपद उन्नाव तथा मु0अ0सं0 272/25 उपरोक्त व मु0अ0सं0 274/2025 धारा 190/191(2)/191(3)/126(2)/115(2)/352/351(3)/308(5) BNS व 3(2)V SC/ST ACT में वांछित अभियुक्त 04.रौनक अली उम्र 58 वर्ष पुत्र स्व0 मासूक अली निवासी ग्राम शेरपुर खुर्द थाना सफीपुर जनपद उन्नाव को ग्राम बम्हना तिराहा पुलिया से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

नाम पता अभियुक्तगण-

- 1.रौनक अली उम्र 58 वर्ष पुत्र स्व0 मासूक अली निवासी ग्राम शेरपुर खुर्द थाना सफीपुर जनपद उन्नाव
- 2.दिलशाद उम्र 31 वर्ष पुत्र स्व0 मासूक अली निवासी ग्राम शेरपुर खुर्द थाना सफीपुर जनपद उन्नाव
- 3.शानू उर्फ रिहान अली उम्र 33 वर्ष पुत्र स्व0 मासूक अली निवासी ग्राम शेरपुर खुर्द थाना सफीपुर जनपद उन्नाव
- 4.तौसीब उर्फ तौहीद खान पुत्र इरफान खान उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम शेरपुर खुर्द थाना सफीपुर जनपद उन्नाव

अपराधिक इतिहास-

01.अभियुक्त रौनक अली उम्र 58 वर्ष पुत्र स्व0 मासूक अली निवासी ग्राम शेरपुर खुर्द थाना सफीपुर जनपद उन्नाव

1.मु0अ0सं0 272/25 धारा 190/191(2)/191(3)/131/115(2)/109/352/351(3) BNS व 3(2)V SC ST ACT

2.मु0अ0सं0 274/2025 धारा 190/191(2)/191(3)/126(2)/115(2)/352/351(3)/308(5) BNS व 3(2)V SC/ST ACT

02.अभियुक्त दिलशाद उम्र 31 वर्ष पुत्र स्व0 मासूक अली निवासी ग्राम शेरपुर खुर्द थाना सफीपुर जनपद उन्नाव

1.मु0अ0सं0 272/25 धारा 190/191(2)/191(3)/131/115(2)/109/352/351(3) BNS व 3(2)V SC ST ACT

03.अभियुक्त शानू उर्फ रिहान अली उम्र 33 वर्ष पुत्र स्व0 मासूक अली निवासी ग्राम शेरपुर खुर्द थाना सफीपुर जनपद उन्नाव

1.मु0अ0सं0 272/25 धारा 190/191(2)/191(3)/131/115(2)/109/352/351(3) BNS व 3(2)V SC ST ACT

2.मु0अ0सं0 228/23 धारा 2/3 सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम 1984

04.अभियुक्त तौसीब उर्फ तौहीद खान पुत्र इरफान खान उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम शेरपुर खुर्द थाना सफीपुर जनपद उन्नाव

1.मु0अ0सं0 272/25 धारा 190/191(2)/191(3)/131/115(2)/109/352/351(3) BNS व 3(2)V SC ST ACT

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री अरविन्द सिंह रघुवंशी
- 2.का0 राहुल दिवाकर
- 3.का0 अमित कश्यप
- 4.का0 गौरव राजपूत
- 5.म0आ0 दीक्षा शर्मा
- 6.म0आ0 नेहा सिंह
- 7.म0आ0 आध्या





प्रेस नोट - दिनांक 30.06.2025
थाना आसीवन, जनपद उन्नाव

चोरी करने वाले 03 अभियुक्त गरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना आसीवन पुलिस द्वारा चोरी करने वाले 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- थाना आसीवन पर दिनांक 28.06.2025 को मु0अ0सं0 213/2025 धारा 305(a) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में मुखबिर की सूचना पर संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग दौरान हेतु आज दिनांक 30.06.2025 को उ0नि0 श्री रामऔतार मय हमराह पुलिस फोर्स द्वारा अभियुक्तगण 1.जैद पुत्र जाहिद उम्र करीब 25 वर्ष 2.साहिल उर्फ अबु सायमा पुत्र मोबीन उम्र करीब 21 वर्ष 3.नजमुद्दीन पुत्र इब्राहिम उम्र करीब 35 वर्ष निवासीगण इन्द्रानगर कस्बा हैदराबाद थाना आसीवन जनपद उन्नाव को कब्जे से 7370/- रुपये बरामद कर कोडवाखेडा रोड़ से गिरफ्तार किया गया व धारा 317(2) की बढोत्तरी की गयी तथा अभियुक्तो की मो0सा0 UP77AP4651 को धारा 207 MV ACT में सीज किया गया।

नाम पता अभियुक्तगण-

- 1.जैद पुत्र जाहिद नि0मो0 इन्द्रानगर कस्बा हैदराबाद थाना आसीवन जनपद उन्नाव उम्र करीब 25 वर्ष
- 2.साहिल उर्फ अबु सायमा पुत्र मोबीन नि0मो0 इन्द्रानगर 2 कस्बा हैदराबाद थाना आसीवन जनपद उन्नाव उम्र करीब 21 वर्ष
- 3.नजमुद्दीन पुत्र इब्राहिम नि0मो0 इन्द्रानगर कस्बा हैदराबाद थाना आसीवन जनपद उन्नाव उम्र करीब 35 वर्ष

बरामदगी - 7370/- रुपये

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 रामऔतार
- 2.हे0का0 उमेश सैनी
- 3.कां0 रवीन्द्र यादव
- 4.का0 रितेश पटेल
- 5.कां0 पिन्टू वर्मा





प्रेस नोट - दिनांक 30.06.2025

थाना गंगाघाट, जनपद उन्नाव

हत्या के प्रयास का वांछित अभियुक्त अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के वांछित अभियुक्त को 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर व 01 अदद मिस कारतूस .315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 29.06.2025 को आशू पुत्र राजू निवासी फत्तेपुर थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव की तहरीर पर थाना गंगाघाट में मुकदमा अपराध संख्या 372/25 धारा 329(3)/352/351(3)/109 बीएनएस बनाम 1. महेन्द्र पुत्र सत्यपाल 2. रोहित पुत्र महेन्द्र निवासीगण उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 30.06.2025 को थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त रोहित उर्फ कल्लू पुत्र महेन्द्र गौतम निवासी ग्राम फत्तेपुर मजरा रौतापुर थाना गंगाघाट उन्नाव 19 वर्ष को नाजायज 01 अदद तमंचा .315 बोर व 01 अदद मिस कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्मस एक्ट की बढोत्तरी की गई।

नाम पता अभियुक्त-

रोहित उर्फ कल्लू पुत्र महेन्द्र गौतम निवासी ग्राम फत्तेपुर मजरा रौतापुर थाना गंगाघाट उन्नाव 19 वर्ष

बरामदगी - नाजायज 01 अदद तमंचा .315 बोर व 01 अदद मिस कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री कमल दुबे
- 2.का0 सतेन्द्र सिंह



